



राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भाषा एवं साहित्य शिक्षण के आयाम

नरेन्द्र सोनी
पीएचडी शोधार्थी
संचार प्रबंधन एवं तकनीकी विभाग
गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा

शिक्षा नीति किसी भी राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकता होती है जिसमें अतीत का विश्लेषण, वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की संभावनाएं निहित होती हैं। शिक्षा नीति की दृष्टि से विडंबना यह रही कि 1968 में पहली और 1986 में दूसरी शिक्षा नीति के बाद सरकारों के द्वारा शिक्षा का क्षेत्र उपेक्षित छोड़ दिया गया। यद्यपि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधुनिकीकरण केंद्रित कहीं जाती है जिसमें देश में शिक्षा के विकास के लिए व्यापक ढांचा, शिक्षा के आधुनिकीकरण और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर देने की बात कही गई थी किंतु 1990 के दौर में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकता में आमूलचूल परिवर्तन हुए जिन्हें पूरा करने में शिक्षा नीति 1986 सक्षम नहीं रही। "निरक्षरता की दर निरंतर बढ़ती रही, ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित ही रहे। विद्यालय तथा महाविद्यालयों को ढांचागत एवं अध्ययन-अध्यापन से जुड़ी हुई तमाम परेशानियां अभी तक भी देखी जा सकती हैं। वर्ष 2014 में बहुमत में आई मोदी सरकार के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ी चुनौती एवं आवश्यकता के सामने थी जिसे देखते हुए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया। तत्पश्चात केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने एक अध्यापक लोकतांत्रिक नीति अपनाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित देश के कोने-कोने से सभी वर्गों के लोगों की राय ली। यह प्रयास प्रधानमंत्री मोदी के "सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास" की भावना पर आधारित दिखाई देता है।"¹

भारत वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा नीति बनाने के लिए देश के लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 660 ब्लॉक और 650 जिलों से विचार लिए गए। इसमें शिक्षाविदों, अध्यापकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं व्यापक स्तर पर छात्रों से भी



सुझाव लेकर उनका मंथन किया गया। नई शिक्षा नीति के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं- मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया, केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6 फीसद हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य, शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली पर विभाजित किया गया है। तकनीकी शिक्षा, भाषा की बाधाओं को दूर करना, दिव्यांग छात्रों एवं महिलाओं के लिए शिक्षा को सुगम बनाने पर बल देना तथा वर्तमान की रटंत एवं बोझिल होती जा रही शिक्षा के स्थान पर रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना के प्रोत्साहन पर बल दिया जाएगा।

अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया में भाषा का विशेष महत्व होता है। "वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी के वर्चस्व को बढ़ावा देती है जिससे बालक के व्यक्तित्व का विकास बाधित होता है और उसके सीखने की गति भी धीमी रहती है। मनोविज्ञान के अनुसार बालक अपनी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में सरलता एवं शीघ्रता से सीखता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण देने की बात कही गई है।"2

कक्षा 5 तक मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल है। नई शिक्षा नीति भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की संकल्पना को लेकर आई है जिसके तहत ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद और उसकी नई व्याख्या करने का कार्य सुगमता से हो सके। आज भारतवर्ष में दिव्यांग छात्रों की भी एक बड़ी संख्या है। उनकी आवश्यकताओं के लिए नई शिक्षा नीति शिक्षण सामग्री और आधारभूत ढांचा तैयार करने पर बल देती है। शिक्षा व्यवस्था के चार प्रमुख आयाम हैं- विद्यार्थी, अध्यापक, पाठ्यक्रम और ढांचागत सुविधाएं। इन चारों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा व्यवस्था व्यापक संभावनाओं के साथ दिखाई देती है। प्रारंभिक शिक्षा में 3 से 8 वर्ष की आयु जिसमें 3 से 6 वर्ष आंगनबाड़ी/ बालवाड़ी और प्री स्कूल के माध्यम से मुक्त सुरक्षित और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की संकल्पना है। 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 की शिक्षा रहेगी। प्रारंभिक शिक्षा की संकल्पना खेल और गतिविधि आधारित होगी। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की



संकल्पना भी नई शिक्षा नीति में है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन नई शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम हैं जिसमें पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों को 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहन पर बल दिया जाएगा। कक्षा 6 से ही व्यवसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और इंटरशिप की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगी और विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए 'परख' नाम से राष्ट्रीय आवास केंद्र की स्थापना की जाएगी।" 3

शिक्षक नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान रहेगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तैयार किए जाएंगे और उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था रहेगी। अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य होगा। शिक्षण संस्थानों में शोध तथा फीस के लिए भी मानक तय किए जाएंगे।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश एवं वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप ढांचागत सुधार किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में सकल नामांकन को 26.3 फीसद से बढ़ाकर 50 फीसद तक करने का लक्ष्य है जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम छोड़ने, विषय बदलने के अवसर दिए जाएंगे और उसी के अनुरूप विद्यार्थी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रावधान किए गए हैं। नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत करते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि - "देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है जो स्वच्छ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा और उस नए भारत के निर्माण में यह नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी।" 4

शिक्षा नीति 2020 की व्यापक संकल्पनाओं का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा- "यह शिक्षा नीति ज्ञान-विज्ञान, अनुसंधान-नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त संस्कारक्षम, मूल्यपरक, हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए, भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगी।"



सरकार की शिक्षा संबंधी निर्णयों और प्रयासों के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चर्चा में है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में आने वाले इस बड़े परिवर्तन से आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं की भी लहर उठी है। वर्ष 1986 की पिछली नीति के 34 वर्षों के अंतराल के बाद प्रभावी रूप से जारी भारत की इस तीसरी शैक्षिक नीति का उद्देश्य भारतीय शिक्षा की संरचना को और अधिक गतिशील, लचीला और प्रासंगिक बनाना है। अगर यह बदलाव सफलतापूर्वक लागू किए जाते हैं तो भारत में शिक्षा के भविष्य के लिए मजबूत नींव साबित हो सकते हैं। " वर्ष 2019 के एन.ई.पी. मसौदे से संकलित और विभिन्न हितधारकों व शिक्षा विशेषज्ञों के सुझावों से बनी यह नीति अपने आप में अलग है। यह शिक्षा नीति एक मजबूत और प्रासंगिक प्रणाली के विकास के लिए भी उम्मीद लेकर आई है। यह केवल तभी संभव हो सकेगा जब सरकार इस नीति में लिखी सभी योजनाओं को लागू कर पाए।"5

बहु-आयामी शिक्षा और स्वायत्तता:

मल्टी-डिसीप्लिन रिसर्च को बढ़ावा मिलने से उच्च शिक्षा संस्थान और व्यवसायिक शिक्षा संस्थान विभिन्न वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सीखने के अवसर प्रदान करने वाले समग्र संगठन के रूप में विकसित होंगे। इससे तथाकथित पुराने स्ट्रीम यानी तय विषय में पढ़ने वाली सीमाओं को तोड़ा जा सकेगा। यह जो पढ़ा, उसे लागू करने के लिए प्रैक्टिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने और इंटर-डिसीप्लिन व अन्य क्षेत्रों को तलाशने के लिए एक आवश्यक कदम है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व स्वायत्तता है जो शैक्षणिक संस्थानों को वास्तव में विश्वस्तरीय बनाने का अवसर देगा। उदाहरण के लिए आई.आई.एम. और आई.आई.टी. को विश्व स्तर के प्रासंगिक कार्यक्रमों को शुरू करने, डिग्री और डिप्लोमा को परिभाषित करने और स्वतंत्र अनुसंधान को आगे बढ़ाने की अनुमति है यह ऐसी कदम है जो उच्च शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है।

अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट:



यह विशेष रूप से उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। वर्तमान डिग्री प्रोग्राम लंबी अवधि के हैं। विशेष रूप से कई व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अनेक छात्र वित्तीय कारणों से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। नए दिशानिर्देश छात्रों को क्रेडिट आवंटन की एक प्रणाली के माध्यम से शैक्षणिक अंतराल की अनुमति देकर उनकी डिग्री को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

स्नातक पाठ्यक्रम 4 साल की अवधि के होंगे जिसमें 1 वर्ष में पाठ्यक्रम से बाहर होने की स्थिति में एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, दूसरे वर्ष के बाद एक डिप्लोमा, तीसरे वर्ष के बाद डिग्री प्रदान की जाएगी और बाद में पाठ्यक्रम को पूरा करने की सुविधा के लिए अर्जित क्रेडिट दर्ज किए जाएंगे। इस प्रकार एक छात्र द्वारा एक डिग्री पाठ्यक्रम के लिए समाप्त समय के लिए उचित क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। यहां तक की पोस्ट-ग्रेजुएशन और पीएच.डी. की बाधाओं को कम करके पाठ्यक्रमों को और अधिक आकर्षक बनाया जाएगा।

शोध कार्यों को प्रोत्साहन:

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च सुविधाओं को स्थापित करने के लिए डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करना जिससे रिसर्च का अनुभव मिल सके ऐसे कदम साबित हो सकते हैं जो रिसर्च और नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में योगदान दे सकते हैं।

मजबूत नींव का निर्माण:

टेन प्लस टू स्कूल शिक्षा प्रणाली की पाठ्यक्रम संरचना में बदलाव किया जाएगा जिसमें क्रमशः 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज, 3 वर्ष की तैयारी और मध्य चरण में 4 साल का सेकेंडरी स्टेज होगा। मध्य चरण प्रायोगिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि सेकेंडरी स्टेज में वैकल्पिक विषयों की पसंद चुनने जैसी विशेषताएं होंगी।

इंटरनशिप फॉर वोकेशनल लर्निंग:



मिडिल स्टेज स्कूली शिक्षा को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 10 दिनों के बैगलैस यानी बिना स्कूल बैग के दिन के रूप में माना जाएगा जिस दौरान छात्र विशेषज्ञों द्वारा कार्पेट्री आदि जैसे कौशल विकास से संबंधित व्यवसायों का प्रशिक्षण लेंगे। इस प्रकार स्कूल के दौरान इंटरशिप को भी प्रोत्साहित किया जाएगा और यह छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा। स्कूली छात्रों को बेसिक कोडिंग का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। "कुछ आलोचक यह कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति बाल श्रम को बढ़ावा देती है। यह समझा जाना चाहिए कि व्यवसायिक कौशल पर ध्यान देना बाल श्रम नहीं है। इंटरशिप कार्यक्रम छात्रों के लिए सीखने का एक बड़ा स्रोत है क्योंकि मात्र कक्षाओं में बैठकर प्रयोगात्मक शिक्षण नहीं हो सकता और इसे बाल श्रम से जोड़ना सही नहीं कहा जा सकता।"6

कहा जा रहा है कि शिक्षा महंगी हो जाएगी। नई नीति से शीर्ष 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसरों को स्थापित करने की अनुमति मिलने के संदर्भ में यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा से शिक्षा कुछ समुदायों के लिए महंगी व पहुंच से बाहर हो जाएगी। यह एक गलतफहमी है क्योंकि प्रतियोगिता से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि की संभावना होती है और प्रतिभागी संख्या में वृद्धि के कारण लागत कम ही होगी।

वैसे विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करना महत्वपूर्ण होगा जबकि भारतीय संस्थानों को स्व-विनियमन करने और पारदर्शी शुल्क संरचना तैयार करने की आवश्यकता होगी।

गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने और मजबूत करने की काफी क्षमता रखती है लेकिन यह तभी प्रभावी हो सकती है जब जो लक्ष्य तय किए गए हो, उन्हें पूरा किया जाए। कहा जा सकता है कि बाधाओं का समाधान खोजते समय उचित योजना और सावधानीपूर्वक उनका कार्यान्वयन होना महत्वपूर्ण है।

नई शिक्षा नीति के तहत संभावित अवसरों की पहचान:

स्किल गैप को कम करना:



भविष्य में रोजगार ऐसी स्किल्स की मांग करेंगे जो वर्तमान से अलग होगी। इसलिए मल्टीडिसीप्लिनरी एजुकेशन, इंटरनशिप और व्यवसायिक प्रशिक्षण उद्योग-शिक्षा में कौशल के अंतर को कम करने में मदद कर सकते हैं।

उभरती तकनीक का उपयोग:

राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम की स्थापना शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के प्रयासों को बढ़ावा दे सकती है।

गुणवत्ता में सुधार:

सिर्फ विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में परिसरों की स्थापना और निकायों का गठन करना जो सीखने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये गुणवत्ता में वृद्धि के प्रयासों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

योजना का अभाव:

यह शिक्षा व्यय की वृद्धि के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है। वर्ष 1964 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के खर्च का 6% खर्च तय किया गया था लेकिन अभी भी इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका है। भारत शिक्षा पर खर्च करने के मामले में 62वें स्थान पर हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक योजना की जरूरत होगी।

शिक्षकों का प्रशिक्षण:

इस नीति में शिक्षक प्रशिक्षण की पहल का उल्लेख किया गया है लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में नीति पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। इस नीति के लिए ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बना सकें।



मूल्यांकन पद्धति का विकास:

हालांकि स्कूलों में मूल्यांकन की पद्धति में सुधार किया गया है लेकिन स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मूल्यांकन अभी भी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं पर निर्भर करता है जो केवल अवधारणाओं का परीक्षण करते हैं, पाठ्यक्रम के लिए कौशल या छात्र की रुचि का नहीं।

भाषा का अंतर:

यद्यपि यह शिक्षा नीति स्कूल में क्षेत्रीय भाषाओं में सीखने की अनुमति देती है लेकिन अंग्रेजी और गैर अंग्रेजी सीखने वालों के बीच के अंतर को और बढ़ा सकती है और गैर-अंग्रेजी छात्रों के लिए रोजगार के अवसरों में कमी हो सकती है।

प्रासंगिक पाठ्यक्रम:

इसमें मल्टी डिसेप्लिन प्रोग्राम को बढ़ावा दिया गया है फिर भी वर्तमान सामाजिक संदर्भ में जेंडर, क्रॉस कल्चरल स्टडीज और नैतिकता में अध्ययन जैसे पाठ्यक्रमों को उचित महत्व नहीं मिला है।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान:

एन.ई.पी. 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।

"एन.ई.पी. 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रमों को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। (1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)।"7



विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक "एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट" दिया जाएगा जिससे अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।

नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है।

नई शिक्षा नीति का लागू होना शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक, साहसिक एवं दूरगामी दृष्टिकोण वाला कार्य है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय एवं मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक बधाई के पात्र हैं।

नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा रोड मैप भी तैयार किया गया है जिसमें नीति के सभी प्रावधानों को लागू करने की एक समय सीमा तय की गई है। "करीब 75 फीसद प्रावधानों को 2024 तक लागू करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार बचे हुए प्रावधान भी वर्ष 2035 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी भी गठित की जाएगी जो केंद्र और राज्यों के बीच नीति के अमल पर हर साल समीक्षा करेगी। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज भारत ज्ञान, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।" 8

कौशल के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संकल्पित किया जा चुका है। ऐसे में नई शिक्षा नीति प्रभावी होगी और यह नए भारत की नींव सिद्ध होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. दैनिक जागरण: शिक्षा नीति में नए प्रावधान, जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली, पेज 8.
2. प्रो. राममोहन पाठक: नई शिक्षा नीति से होगा विकास (दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी), जागरण संवाददाता, प्रयागराज।



3. सीताराम शर्मा 'चेतन': नई शिक्षा नीति का स्वागत हैं, अमर उजाला, नई दिल्ली, पेज 7.
4. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लैनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन: टीचर्स इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, न्यू दिल्ली, पेज 46.
5. ब्यूरो/नवज्योति: अब मातृभाषा में पढ़ सकेंगे बच्चे, नई दिल्ली, पेज 7
6. श्री राम खेलावन चौधरी: शिक्षण विधियों की रूपरेखा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 2017 पृष्ठ 15-16.
7. सरयू प्रसाद चौबे: शिक्षण सिद्धांत की रूप-रेखा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, सं. 2018, पृष्ठ 34.
8. राज्य ब्यूरो: नई शिक्षा नीति पर फीडबैक, 09.09.15
@www.primarykamastu.com, लखनऊ।